लोक सभा सचिवालय

शोध एवं सूचना प्रभाग

विधायी समाचार

लार्डिस सं. 1/2013/जेपीआई

अगस्त 2013

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2013

अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों तथा संवैधानिक दायित्वों के अनुसरण में खाद्य सुरक्षा प्रदान करना भारत सरकार की आयोजना और नीति का मुख्य ध्येय है। संविधान के अनुच्छेद 47 में अन्य बातों के साथ-साथ, यह व्यवस्था है कि अपनी जनता के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करना राज्य का प्रमुख कर्त्तव्य है। मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय करार जिस पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं, से भी राज्य के सभी पक्षों पर पर्याप्त भोजन के प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार को मान्यता देने की जिम्मेदारी आती है। अत्यधिक गरीबी और भुखमरी का उन्मूलन संयुक्त राष्ट्र के सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों में से एक लक्ष्य है।

खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त खाद्यान्न की उपलब्धता के साथ-साथ व्यक्तिगत स्तर पर किफायती दरों पर पर्याप्त भोजन सुलभ कराना है। राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना देश की एक मुख्य उपलब्धि है। पारिवारिक स्तर पर खाद्य सुरक्षा के मुद्दे के समाधान के लिए सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) कार्यान्वित कर रही है जिसके अंतर्गत लक्षित परिवारों को राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न दिया जाता है। तथापि, लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना अभी भी एक चुनौती बना हुआ है।

भारत की राष्ट्रपति, श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील ने 4 जून, 2009 को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए यह कहा था कि सरकार का विचार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) नामक एक नया कानून बनाने का है जो सभी के लिए खाद्य सुरक्षा का आश्वासन देने वाले ढांचे को एक सांविधिक आधार प्रदान करेगा। तदनुसार, विभिन्न पक्षों के साथ समुचित परामर्श के बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011 (एनएफएसबी) तैयार किया गया और 22 दिसम्बर, 2011 को लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया। विधेयक को विभागों से संबद्ध खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति को जांच हेतु और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भेजा गया। समिति ने 17 जनवरी, 2013 को अपना प्रतिवेदन लोक सभा अध्यक्ष को प्रस्तुत किया। स्थायी समिति की सिफारिशों की जांच की गई तथा बजट सत्र 2013 के दौरान सरकार ने अधिकारिक संशोधनों के साथ उक्त विधेयक पर विचार किए जाने और इसे पारित किए जाने की सूचना दी। उक्त विधेयक को कई दिन तक सभा की कार्यसूची में शामिल किया गया किन्तु 8 मई, 2013 को संसद के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने तक इसे पारित नहीं किया जा सका। प्रस्तावित विधान से लोगों को शीघ्र लाभान्वित करने के लिए राष्ट्रपति ने 5 जुलाई, 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013 प्रख्यापित किया। संसद का मानसून सत्र 5 अगस्त, 2013 को प्रारंभ हुआ। संविधान के अनुच्छेद 123 में अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंध है कि प्रख्यापित अध्यादेश संसद के पुन: समवेत होने से छह सप्ताह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा। तदनुसार इस अध्यादेश का स्थान लेने के लिए 7 अगस्त, 2013 को लोक सभा में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2013 पुर:स्थापित किया गया। इसे पुर:स्थापित किए जाने से पहले पूर्ववर्ती विधेयक अर्थात् राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011 सभा की अनुमति से वापिस ले लिया गया।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2013 की मुख्य विशेषताएं

इस विधेयक में निर्धनतम वर्ग, महिलाओं और बच्चों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया गया है और उसमें शिकायत निवारण तंत्र तथा किसी लोक सेवक अथवा किसी प्राधिकारी द्वारा इसका अनुपालन न करने पर जुर्माने का प्रावधान है। विधेयक की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:—

- इसका उद्देश्य जीवन चक्र दृष्टिकोण में खाद्य सुरक्षा के मुद्दे का समाधान करना है—लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत एक बड़ी संख्या में लोगों को राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के अतिरिक्त गर्भवती महिलाओं और 6 माह से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए अलग-अलग पात्रता।

- एक एकल श्रेणी के रूप में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी आबादी का 75% और 50% कवरेज जिसमें, प्रतिमाह प्रति व्यक्ति 5 कि.ग्रा. की समान पात्रता होगी।

- वर्तमान अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों को प्रतिमाह 35 कि.ग्रा. प्रति परिवार की सुरक्षा देने की पात्रता।

- अधिनियम बनाए जाने की तारीख से लेकर तीन वर्षों की अवधि के लिए चावल, गेहूं और मोटे अनाज की क्रमश: 3/2/1 रु. की रियायती दरों पर उपलब्ध कराना और बाद में उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के साथ उपयुक्त रूप से जोड़ना।

- अखिल भारतीय कवरेज के मादृश राज्य-वार कवरेज का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।

- योजना के अंतर्गत कवर किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या का निर्धारण उस जनगणना के आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा जिसके संगत आंकड़ों का प्रकाशन किया जा चुका हो।

- प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित कवरेज के भीतर राज्य सरकार परिवारों की पहचान करेगी।

- गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं 6000/- रु. से अन्यून के मातृत्व लाभ और भोजन की पात्र होंगी।

- 6 माह से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) और मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत भोजन के लिए पात्र होंगे।

- परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की सबसे बड़ी महिला राशन कार्ड जारी करने के प्रयोजन से परिवार की मुखिया होगी।

- जिला और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र होगा। राज्यों को वर्तमान तंत्र का प्रयोग करने अथवा एक अलग तंत्र स्थापित करने की छूट होगी।

- केंद्र सरकार राज्यों को उनके द्वारा राज्य के भीतर खाद्यान्न की ढुलाई, संभलाई और उचित दर दुकान के डीलरों के लाभ पर किए गए व्यय की भरपाई हेतु इस प्रयोजन के लिए बनाए गए मानदंडों के अनुसार राज्यों को सहायता प्रदान करेगी।

- पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए प्रावधान:

  - सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) संबंधी रिकार्ड को सार्वजनिक किया जाएगा।

  - सामाजिक लेखा परीक्षा।

  - सतर्कता समितियां।

- खाद्यान्न और भोजन की आपूर्ति न होने के मामले में पात्र लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा भत्ता देने का प्रावधान है।

- राज्य खाद्य आयोग द्वारा जिला शिकायत निवारण अधिकारी (डीजीआरओ) द्वारा संस्तुत राहत देने का अनुपालन न करने पर लोक सेवक या प्राधिकारी पर जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है।

वित्तीय प्रभाव

612.3 लाख टन की अनुमानित वार्षिक खाद्यान्न आवश्यकता के अनुरूप 2013-14 की आर्थिक लागत पर रा.खा.सु. विधेयक, 2013 के कार्यान्वयन हेतु लगभग 1,24,747 करोड़ रुपये की अनुमानित खाद्य राजसहायता की जरूरत है। केवल सामान्य टीडीपीएस आवंटन तथा अन्य कल्याण योजनाओं (ओडब्ल्यूएस) की आवश्यकताओं के दृष्टिगत वर्तमान टीडीपीएस के अंतर्गत अनुमानित खाद्य राजसहायता आवश्यकता लगभग 1,00,953 करोड़ रुपए है जिसको देखते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2013 के कार्यान्वयन के लिए खाद्य राजसहायता हेतु लगभग 23,794 करोड़ रुपए के अतिरिक्त परिव्यय की आवश्यकता होगी। तथापि, वर्ष के लिए वास्तविक आवश्यकता अधिनियम के विभिन्न राज्यों में लागू होने पर तय होगी।

राज्यों में खाद्यान्नों की ढुलाई/संभलाई तथा उचित दर दुकान डीलरों के लाभ पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार तैयार किए जाने वाले मानदण्डों के अनुसार राज्यों को सहायता प्रदान करेगी। भंडारण सुविधाओं का सृजन, टीडीपीएस का आधुनिकीकरण तथा अन्य परिचालन संबंधी व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण जैसी अन्य मदों पर अतिरिक्त व्यय होगा। तथापि, ये खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सामान्य कार्यकलाप हैं और रा.खा.सु. विधेयक 2013 से इनका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। जहां तक महिलाओं/बच्चों के लिए भोजन तथा कम से कम 6000 रुपए तक के मातृत्व लाभ का संबंध है इन पर होने वाला व्यय संबंधित मंत्रालय अपने बजट से पूरा करेंगे।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011 और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2013 की तुलना

क्र. सं.	रा.खा.सु. 2011 विधेयक में उपबंध (धारा सं.)	रा.खा.सु. विधेयक, 2013 में उपबंध (धारा सं.)
1.	**तैयारी हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिया गया समय** लोक सभा में पुर:स्थापित विधेयक में ऐसा कोई उपबंध मौजूद नहीं है।	राज्य सरकारों को यथाशीघ्र परन्तु, अधिनियम लागू होने के अधिकतम एक सौ अस्सी दिनों के भीतर धारा 10(1)(ख) के अंतर्गत तैयार दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र परिवारों की पहचान करनी है। *[धारा 10(1)(ख) के अंतर्गत परन्तुक]*
2.	**टीडीपीएस के अंतर्गत अखिल भारतीय कवरेज:** ग्रामीण जनसंख्या का 75% तक (प्राथमिकता के आधार पर न्यूनतम 46%) और शहरी जनसंख्या का 50% तक (प्राथमिकता के आधार पर न्यूनतम 28%) *[धारा 3(2)]*	• अखिल भारतीय कवरेज, ग्रामीण जनसंख्या का 75% और शहरी जनसंख्या का 50%। • पात्र परिवारों में प्राथमिकता वाले तथा एएवाई परिवार सम्मिलित होंगे। *[धारा 3(2)]*
3.	**राज्यवार कवरेज** अखिल भारतीय कवरेज के राज्यवार वितरण का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा। *[धारा 14 (2)]*	केन्द्र सरकार प्रत्येक राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में टीडीपीएस के अंतर्गत प्रतिशत कवरेज का निर्धारण करेगी और राज्यों के ऐसे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कवर किए जाने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या की गणना, ऐसी जनगणना के जनसंख्या अनुमानों के आधार पर की जाएगी जिसके संगत आंकड़ों का प्रकाशन किया जा चुका हो। *[धारा 9]*
4.	**पात्रता** प्राथमिकता वाले परिवारों के लिए प्रति माह प्रति व्यक्ति 7 कि.ग्रा. की दर पर तथा आम परिवारों के लिए प्रतिमाह प्रति व्यक्ति 3 कि.ग्रा. की दर पर राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों की पात्रता। *[धारा 3(1)]*	मौजूदा एएवाई परिवारों को प्रतिमाह प्रति परिवार 35 कि.ग्रा. खाद्यान्नों की पात्रता के अध्यधीन प्राथमिकता प्राप्त परिवारों के लिए प्रतिमाह प्रति व्यक्ति 5 कि.ग्रा. की दर पर राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों की पात्रता। *[धारा 3(1)]*
5.	**टीडीपीएस के अंतर्गत मूल्य और उनमें संशोधन** **प्राथमिकता प्राप्त परिवार:** चावल, गेहूं, मोटा अनाज हेतु क्रमश: 3, 2, 1 रुपए प्रति कि.ग्रा. से अधिक नहीं। **सामान्य परिवार:** गेहूं और मोटे अनाज हेतु एमएसपी का अधिकतम 50% और चावल हेतु प्राप्त एमएसपी का अधिकतम 50% *[अनुसूची 1 के साथ पठित धारा 3]* मूल्यों के आवधिक संशोधन का कोई उपबंध नहीं	• अधिनियम के लागू होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए सभी पात्र लाभार्थियों के लिए चावल, गेहूं, मोटे अनाज हेतु क्रमश: 3, 2 और 1 रुपया प्रति कि.ग्रा.। • तत्पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा जो कि एमएसपी से अधिक न हो। *[अनुसूची 1 के साथ पठित धारा 3]*
6.	**परिवारों की पहचान** केन्द्र सरकार द्वारा विहित दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा परिवारों की पहचान की जाएगी। *[धारा 15(2)]*	प्रत्येक राज्य हेतु निर्धारित राज्यवार कवरेज के अंतर्गत राज्य सरकारें निम्नलिखित की पहचान करेंगी: • केन्द्र सरकार द्वारा योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार विहित सीमा तक एएवाई के अंतर्गत कवर किए जाने वाले परिवार; • राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाने वाले दिशानिर्देशों के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त परिवारों के रूप में शेष परिवार। *[धारा 10]*
7.	**गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषाहार** • गर्भावस्था के दौरान और उसके पश्चात् छह माह तक नि:शुल्क भोजन • छह माह तक प्रति माह 1000 रुपए का मातृत्व लाभ *[धारा 4]*	• गर्भावस्था के दौरान और उसके पश्चात् छह माह तक नि:शुल्क भोजन। • केन्द्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित किस्तों में न्यूनतम 6000 रुपए का मातृत्व लाभ। *[धारा 4]*

क्र. सं.	रा.खा.सु. 2011 विधेयक में उपबंध (धारा सं.)	रा.खा.सु. विधेयक, 2013 में उपबंध (धारा सं.)
8.	बच्चों के लिए पोषाहार: 6 माह से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को उनकी आयु के अनुकूल भोजन मिलेगा। कुपोषण ग्रस्त बच्चों के लिए उच्च पोषाहार स्तर वाला भोजन। *[धारा 5 और 6]*	6 माह से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को उनकी आयु के अनुकूल भोजन मिलेगा। कुपोषण ग्रस्त बच्चों के लिए उच्च पोषाहार स्तर वाला भोजन। *[धारा 5 और 6]*
9.	राज्य सरकारों को कवरेज में वृद्धि करने या अधिक लाभ प्रदान करने की छूट अधिनियम में केन्द्र अथवा राज्य सरकारों को अन्य खाद्य आधारित कल्याण योजनाएं जारी रखने या तैयार करने से न रोकने के उपबंध *[धारा 40]*	एनएफएसबी 2011 की धारा 40 के अंतर्गत मौजूदा उपबंधों के अतिरिक्त, राज्य सरकारों को अपने स्वयं के संसाधनों से विधेयक के अंतर्गत प्रदान किए गए लाभों के अतिरिक्त अधिक लाभ प्रदान करने के लिए खाद्य अथवा पोषण आधारित योजनाएं या नीतियां जारी रखने या तैयार करने की अनुमति प्रदान करने के लिए धारा 32(2) को भी जोड़ा गया है। *[धारा 32]*
10.	परिवहन, संभलाई तथा एफपीएस डीलरों के लाभ पर होने वाले व्यय में हिस्सेदारी राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि अनुसूची-1 में दिए गए मूल्यों पर पात्र व्यक्तियों को खाद्यान्नों की आपूर्ति की जाए। (इसका यह अर्थ था कि राज्यों को खाद्यान्नों के अन्त:राज्यीय परिवहन, संभलाई तथा डीलरों के लाभ आदि जैसी मदों पर होने वाला व्यय वहन करना होगा) *[धारा 32(2) (ख) और 32(3)]*	केन्द्र सरकार, अपने विहित मानदण्डों और रीति के अनुसार खाद्यान्नों के अन्त:राज्यीय परिवहन, संभलाई तथा उचित दर की दुकानों के डीलरों को प्रदान किए जाने वाले लाभ पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करेगी। *[धारा 22(4)(घ)]*
11.	खाद्यान्नों की गुणवत्ता लोक सभा में यथा पुर:स्थापित रा.खा.सु.वि. में खाद्यान्नों की गुणवत्ता के संबंध में कोई उपबंध नहीं है।	खाद्यान्नों की परिभाषा में गुणवत्ता मानकों को शामिल किया गया है। *[धारा 2(5)]*
12.	जिला और राज्य स्तरों पर शिकायत निवारण तंत्र प्रत्येक जिले हेतु जिला शिकायत निवारण अधिकारी (डीजीआरओ) की नियुक्ति की जाएगी। प्रत्येक राज्य द्वारा राज्य खाद्य आयोग का गठन किया जाएगा। *[धारा 21(1) और 22(1)]*	राज्यों को डीजीआरओ तथा राज्य आयोग हेतु मौजूदा निकायों/तंत्रों को ही नियुक्त करने की छूट प्रदान की गई है। *[धारा 15(1) और 18]*
13.	राज्य खाद्य आयोग के सदस्य सचिव की नियुक्ति हेतु पात्रता *[धारा 22 की उप-धारा 2(ग) और 3(क)]*	यह उपबंध करने के लिए कि राज्य आयोग का सदस्य-सचिव संबंधित राज्य सरकार में संयुक्त सचिव से नीचे की श्रेणी का अधिकारी नहीं होना चाहिए, धारा 16 की उप-धारा 2(ग) में संशोधन किया गया है। *[धारा 16 की उप-धारा 2(ग)]*
14.	राष्ट्रीय आयोग की स्थापना तथा इससे संबंधित उपबंध करना *[धारा 25, 26 और 28]*	इस प्रकार का कोई उपबंध रा.खा.सु. विधेयक, 2013 में नहीं है।
15.	अनिवार्य बाध्यता *[धारा 52]*	यह उपबंध करने के लिए कि केन्द्र सरकार, योजना आयोग के परामर्श से यह घोषित कर सकती है कि ऐसे व्यक्ति को खाद्यान्नों या भोजन की नियमित आपूर्ति प्रभावित करने वाली स्थिति उत्पन्न हो गई है या विद्यमान है अथवा नहीं, खंड में संशोधन किया गया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011 (17 जनवरी, 2013 को प्रस्तुत समिति का 27वां प्रतिवेदन) के संबंध में खाद्य, उपभोक्ता मामलों और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति की महत्वपूर्ण टिप्पणियां/सिफारिशें

- ग्रामीण जनसंख्या के 75% तथा शहरी जनसंख्या के 50% तक प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 कि.ग्रा. की दर से समान रूप से हकदारी वाले एकल श्रेणी लाभार्थी।
- रेल मंत्रालय को आधारभूत अवसंरचनात्मक सुविधाओं में सुधार लाने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारतीय खाद्य निगम तथा रेल मंत्रालय द्वारा ऐसा तंत्र विकसित किए जाने की आवश्यकता है जिससे रेक की आपूर्ति, विलंब शुल्क के उद्ग्रहण इत्यादि जैसी समस्याओं का समाधान किया जा सके।
- समयबद्ध कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पूर्ण आधुनिकीकरण तथा उचित दर दुकानों तक खाद्यान्नों की ट्रैकिंग के लिए आपूर्ति शृंखला को पूर्ण रूप से कम्प्यूटरीकृत किया जाना चाहिए।
- खाद्य राजसहायता के स्थान पर सीधे नकद अंतरण योजना आरंभ करने से पूर्व देश के सभी हिस्सों में बैंकिंग अवसंरचना तथा बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाए।
- व्यय की लागत को साझा करने के संबंध में राज्य सरकारों के अलग-अलग मतों तथा अलग-अलग राज्यों की अलग-अलग आर्थिक और वित्तीय स्थिति को देखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता के लिए राज्यों को क, ख और ग श्रेणियों में विभाजित किया जाना चाहिए।
- खाद्य सुरक्षा नीति की वहनीयता और सततता सुनिश्चित करने के लिए विधेयक के अंतर्गत कवर किए जाने वाले सभी व्यक्तियों के लिए खाद्यान्नों की पात्रता आरंभ में 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह निर्धारित की जानी चाहिए। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को खाद्यान्नों का आवंटन 2011 के जनसंख्या अनुमानों के आधार पर किया जाना चाहिए जिनकी हर दस वर्ष बाद समीक्षा की जानी चाहिए।
- महिलाओं को गर्भावस्था तथा बच्चे के जन्म के दो वर्ष बाद तक प्रतिमाह 5 किलो अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत हकदारियों के लिए परिवारों की पहचान करने के लिए केन्द्र सरकार को राज्य सरकार के सहयोग से विशेष कदम उठाने चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पात्र व्यक्ति सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं के कवरेज से बाहर न रह जाए।
- केन्द्र सरकार को लाभार्थियों को दिए जाने वाले खाद्यान्नों के संबंध में न्यूनतम गुणवत्ता मानक निर्धारित करने चाहिए।
- भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए खाद्यान्नों के गोदामों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए।
- गांवों और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की शिकायत निवारण प्राधिकरण तक आसानी से पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉक/पंचायत स्तर पर शिकायत निवारण प्राधिकरणों की स्थापना की जानी चाहिए तथा निर्वाचित महिला प्रतिनिधि इसके सदस्य होने चाहिए।
- राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा वहन किए जाने वाले अतिरिक्त व्यय के संबंध में वित्त आयोग से परामर्श लिया जाना चाहिए।

चावल और गेहूं का उत्पादन तथा खरीद

(लाख टनों में)

फसल वर्ष	चावल		गेहूं		कुल	
					चावल + गेहूं	
	उत्पादन	खरीद	उत्पादन	खरीद	उत्पादन	खरीद
2006-07	933.55	251.07	758.1	111.28	1691.65	362.35
2007-08	966.93	287.36	785.7	226.89	1752.63	514.25
2008-09	991.8	341.04	806.8	253.82	1798.6	594.86
2009-10	890.9	320.34	808.0	225.14	1698.9	545.48
2010-11	959.8	342.00	868.7	283.35	1828.5	625.35
2011-12	1042.22	350.36	936.2	381.48	1978.4	731.84

भंडारण क्षमता

- भारतीय खाद्य निगम की 31 मई, 2013 तक कवर्ड और 'कवर एंड प्लिंथ' (सीएपी) भंडारण क्षमता 397.02 लाख मिलियन टन (मि.ट.) थी। राज्य एजेंसियों के पास केन्द्र के खाद्यान्नों के भंडार हेतु कवर्ड और सीएपी भंडारण क्षमता लगभग 341.35 लाख मि. टन है। परिणामत: 1 जून, 2013 को केन्द्र के 775 लाख मि. टन खाद्यान्न भंडार के लिए लगभग 738 लाख मि. टन भंडारण क्षमता उपलब्ध थी।
- सरकार कवर्ड भंडारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए निजी उद्यमी गारंटी योजना (पीईजी) का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन कर रही है। यह योजना निजी उद्यमियों, केन्द्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) तथा राज्य भंडारण निगमों (एसडब्ल्यूसी) द्वारा गोदामों के निर्माण में निजी निवेश को प्रोत्साहन देती है। भारतीय खाद्य निगम इस योजना के तहत निर्मित गोदामों को 10 वर्ष तक किराए पर लेने की गारंटी देकर यह सुनिश्चित करती है कि निवेशक को उसके निवेश पर उचित लाभ प्राप्त हो।
- 31 मई 2013 तक 19 राज्यों में लगभग 203 लाख मिलियन टन भंडारण क्षमता वाले गोदामों के निर्माण को मंजूरी दी जा चुकी है जिसमें से 145.06 लाख मिलियन टन क्षमता वाले गोदामों के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इस योजना के तहत 31 मई, 2013 तक 71.08 लाख मिलियन टन क्षमता वाले गोदामों का निर्माण पूरा हो चुका है।
- वैज्ञानिक ढंग से दीर्घावधि भंडारण सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने पीईजी योजना के तहत समग्र संस्वीकृत क्षमता के अंतर्गत साइलोस में 20 लाख मिलियन टन की भंडारण क्षमता के निर्माण को स्वीकृति दे दी है।
- सरकार ने अगले 3-4 वर्षों में भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से 5.40 लाख मिलियन टन की अतिरिक्त भंडारण क्षमता के सृजन हेतु विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक योजनागत स्कीम को अंतिम रूप दे दिया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक बार इस क्षमता के सृजन से लगभग 3-4 महीनों की भंडारण आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा।

प्रमुख मुद्दे/चुनौतियां

- कुल जनसंख्या कवरेज जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 75% तथा शहरी क्षेत्रों में 50% कवरेज सम्मिलित है, में राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के बीच खाद्यान्न वितरण तथा अंतर जनसंख्या कवरेज। ऐसा घरेलू खपत व्यय सर्वेक्षण (2011–12) के संबंध में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा किए गए 68वें सर्वेक्षण तथा राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के बीच मूल्य अंतर को संतुलित करने के पश्चात् पूरे भारत में मासिक प्रति व्यक्ति खपत व्यय (एमपीसीई) के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के 75 परसेंटाइल तथा शहरी क्षेत्रों के 50 परसेंटाइल के अनुरूप राज्य स्तर पर कट ऑफ निश्चित करके किया जा सकता है। 2011-12 के एनएसएसओ आंकड़ों के आधार पर योजना आयोग ने राज्यवार कवरेज प्रतिशत आंकड़े उपलब्ध कराए हैं जो राज्य सरकारों को भेज दिए गए हैं।
- उचित लाभार्थियों की पहचान करना। यह दायित्व राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों पर है। वे इस संबंध में स्वयं अपने मानदंड बना सकते हैं अथवा सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) के आंकड़ों का उपयोग भी कर सकते हैं। नए राशन कार्ड जारी करना।
- विधेयक के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सभी स्तरों पर पर्याप्त भंडारण सुविधाओं विशेष रूप से मध्यवर्ती भंडारण और वितरण तंत्र का सृजन करना ताकि हानि कम से कम हो।
- यद्यपि वर्तमान खाद्यान्न उत्पादन विधेयक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, तथापि यह अनिवार्य होगा कि उत्पादन में वृद्धि की जाए और विधेयक के उपबंधों के अनुरूप आवश्यकतानुसार खरीद होती रहे।
- खाद्यान्नों की घर तक सुपुर्दगी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पूर्ण कम्प्यूटरीकरण सहित सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग, लाभार्थियों की पहचान हेतु "आधार" के प्रयोग को बढ़ावा देना, रिकार्डों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, उचित दर की दुकानों को लाइसेंस देने हेतु सार्वजनिक संस्थानों/निकायों को प्राथमिकता देना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित की जाने वाली मदों का विविधीकरण, सामाजिक लेखा परीक्षण/शिकायत निवारण हेतु प्रभावी तंत्र की स्थापना जैसे उपाय अपनाकर टीपीडीएस के अंतर्गत व्यापक सुधार करने होंगे।

इसके लिए सभी संबंधित पक्षों चाहे वह केन्द्र सरकार हो या राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र, लोक संस्थान और स्थानीय निकाय, सिविल सोसायटी, प्रौद्योगिकी व अन्य सेवा प्रदाता या फिर आम जनता द्वारा सम्मिलित प्रयास किए जाने की आवश्यकता होगी।

श्री पी.के. मिश्रा, अपर सचिव और श्रीमती कल्पना शर्मा, निदेशक की देखरेख में श्री पुलिन बी. भूटिया, अपर निदेशक और श्री रंगनाथन एस. शर्मा, शोध अधिकारी लोक सभा सचिवालय द्वारा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग और योजना आयोग से प्राप्त जानकारी के आधार पर संसद सदस्यों के संसदीय कार्य में पृष्ठाधार सहायक सामग्री के रूप में सहायता देने हेतु तैयार किया गया है। इस बुलेटिन का हिन्दी संस्करण, संपादन तथा अनुवाद सेवा के निदेशक, श्री नवीन खुल्बे, अपर निदेशक, श्री धनीराम और संयुक्त निदेशक, श्री डी.आर. मेहता के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है।